अपील सूचना अधिकार संख्या 109/2020 (RCMS 2020/00182) संजय कुमार सहारण पुत्र श्री हरी सिंह सहारण निवासी 54 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 94602–65051) <u>बनाम</u> 1. अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्र.), श्रीगंगानगर 2. उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर 3. सचिव, कृषि उपज मंडी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.09.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी संजय कुमार सहारण उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीगंगानगर को अग्रेषित कर दी और सचिव कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) श्रीगंगानगर ने आवेदक का उक्त आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को हस्तांतरित कर दिया और उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने उसके प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना उनके कार्यालय में उपलब्ध न होना अंकित करते हुए सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 22.07.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

शक्ति एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड, श्रीगंगागनर फर्म के द्वारा किसानों को ब्याज पर रूपये देने के लिए अधिकृत किया हुआ है या नहीं? उसके लाईसेंस की प्रमाणित प्रति व यदि अधिकृत किया हुआ है तो फर्म एक किसान को अधिकतम कितने रूपये उधार या ब्याज पर दे सकती है एवं ब्याज दर क्या निर्धारित है। संबंधित आदेश/नियम की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जाए।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आर.टी.आई./105/2020/644—45 दिनांक 22.07.2020 से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीगंगानगर को एवं सचिव,, कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक KUMS/G/SGNR/RTI/2020-21/1005 दिनांक 06.08.2020 से उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत हस्तान्तरित किया गया है और उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगागनर ने अपने पत्रांक आरटीआई/2020/135 दिनांक 13.08.2020 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा आपका प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत इस कार्यालय को हस्तान्तरित किया गया हैं। प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इस कारण वांछित सूचना दी नहीं जा सकती है।   सहायक लोक सूचना अधिकारी   एवं उपखण्ड अधिकारी   श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।** इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है।** इसलिए सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी को उसके प्रार्थना पत्र पर दिनांक 13.08.2020 को दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर, सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीगंगानगर एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर